

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1236 / 06

संस्थित दिनांक-20.12.06

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

जितेन्द्रसिंह पुत्र रमेशसिंह गुर्जर उम्र 33 साल

निवासी लटकनपुरा थाना मालनपुर

जिला म०प्र० म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 14.02.18 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात् "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.10.06 को 2 बजे अंबे फाईन वायर फैक्ट्री के अंदर सुर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व फरियादी शिवनाथ मिश्रा के आधिपत्य के 6000 रुपये व एक बारह बोर की इकनाली बंदूक कीमती करीब 2500 रुपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की।

2. प्रकरण में अभियुक्त इंसाफ खां, ब्रजेन्द्रसिंह, निहालसिंह के संबंध में निर्णय दिनांक 26.07.14 को पारित हो चुका है। यह निर्णय अभियुक्त जितेन्द्र के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30.10.06 को फरियादी शिवनाथ मिश्रा सिक्कोरिटी गार्ड के रूप में अंबे फाईन वायर फैक्ट्री में पदस्थ होकर कार्यरत था। रात्रि 2 बजे वह फैक्ट्री परिसर में भ्रमण कर रहा था और कमरे में नगदी 6000 रुपये और इकनाली 12 बोर की बंदूक रखकर गया था। वापस आकर देखा तो कमरे से नगदी एवं बंदूक चुरा ले गए। उसने सिक्कोरिटी आफीसर को सूचना दी। साथ ही फैक्ट्री के अंदर और भी सामान चोरी गयी था, जिसकी सूचना मालिक को दी। तत्पश्चात् थाना आकर अप०क्र० 152/06 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिए गए जिसके आधार पर 12 बोर की बंदूक जब्त की गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

क्या अभियुक्त ने दि० 30.10.06 को 2 बजे अंबे फाईन वायर फैक्ट्री के अंदर सुर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व फरियादी शिवनाथ मिश्रा के आधिपत्य के 6000 रुपये व एक बारह बोर की इकनाली बंदूक कीमती करीब 2500 रुपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शिवनाथ मिश्रा अ०सा० 1, आर०बी०सिंह अ०सा० 2, हरगोविंदसिंह अ०सा० 3, कलियानसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी शिवनाथ मिश्रा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे अंबे फाईन वायर फैक्ट्री मालनपुर में गनमैन के पद पर पदस्थ थे। रात्रि के समय ड्यूटी पर थे। तीन व्यक्ति बाउण्ड्री के अंदर घुस आए थे। उसे खटखट की आवाज से शोर होने पर शक हुआ तो फैक्ट्री के अंदर घूम घूमकर देखा किन्तु कोई नहीं मिला, तभी फैक्ट्री के बाहर आया तो तीन व्यक्तियों ने आकर उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए थे, मुंह पर कपड़ा लगा दिया था। साक्षी यह कथन करता है कि उसकी जेब में से चाबी निकाल ली थी। फैक्ट्री का ताला खोलकर दो मशीन, उसकी बंदूक व तार चोरी कर ले गए थे। चोरों के पास मोबाईल व कटर था, तीनों ने अपना मुंह ढक रखा था जिससे पहचान नहीं आ रहे थे, तीनों ही चोरी करके भाग गए थे। उन्होंने फोन करके गाड़ी मंगा ली थी और गाड़ी में चोरी का सामान भरकर ले गए थे। एक आदमी उसके हाथ पैर खोलकर छोड़कर भाग गया था जो कि उन्हीं चोरों में से था। साक्षी बताते हैं कि चोरी में उसकी 12 बोर की लायसेंसी बंदूक, 15 कारतूस तथा 6000 रुपये नगद भी चोरी कर ले गए थे। दूसरे दिन उसने फैक्ट्री मालिक को घटना के बारे में बताया तब मालिक ने कहा कि रिपोर्ट कर दो तब उसने थाने में जाकर प्र०पी० 1 की रिपोर्ट की थी जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है।

8. प्रकरण में फरियादी शिवनाथ मिश्रा प्र०पी० 1 थाने में सुबह 6-7 बजे करने के लिए जाना बताता है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकी दिनांक 30.10.06 को सुबह 9-05 बजे लेख की गयी है। फरियादी जहां अपने अभिसाक्ष्य में तीन व्यक्तियों द्वारा उसे पकड़कर हाथ पैर बांधकर चोरी

कर लेने का कथन करते हैं वहीं प्र०पी० 1 की रिपोर्ट से साक्षी के कथन में सारवान विरोधाभास होकर किसी भी चोर द्वारा उसके सामने चोरी करने के संबंध में तथ्य लेख होना नहीं दर्शाती है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट के अनुसार घटना में लिप्त व्यक्तियों द्वारा उसके कमरे से 12 बोर की इकनाली बंदूक और 6000 रुपये ले जाने के संबंध में तथ्य लेख है। साथ ही फैक्ट्री के अंदर के अन्य सामान की चोरी के संबंध में अवश्य लेख है, किन्तु संपूर्ण अभियोगपत्र में यह लेख नहीं किया गया कि अन्य क्या सामान चोरी हुआ था। यहां तक कि उक्त साक्षी के पुलिस कथन में भी किसी अन्य सामान का विवरण उल्लेखित नहीं हैं। किन्तु प्रकरण में फरियादी के द्वारा तीन अज्ञात मुंह बंद चोरों द्वारा फरियादी के हाथ पैर बांधकर चोरी कर लेने की घटना को अवश्य साक्षी ने प्रथम बार बताया है, किन्तु कथित बंदूक एवं 6000 रुपये की चोरी होने के संबंध में कोई भी चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी दशा में उक्त तथ्य अखण्डनीय हैं। अतः फरियादी शिवनाथ की दिनांक 30.10.06 को 12 बोर की बंदूक एवं 6000 रुपये चोरी हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है।

9. प्रकरण में फरियादी शिवनाथ अ०सा० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में किसी भी अभियुक्त के चोरी की घटना में लिप्तता के संबंध में कथन नहीं किया है, अर्थात् अभियुक्तगण में से ही उक्त कथित तीन व्यक्ति थे, इसका कोई कथन नहीं किया है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट भी अज्ञात चोरों के विरुद्ध लेख की गयी है। प्रकरण में ऐसा कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं जो उसके सामने उक्त चोरी की घटना अभियुक्तगण द्वारा किए जाने, या अभियुक्तगण को चोरी का सामान ले जाते हुए अथवा बेचते हुए या छिपाते हुए देखने का कथन करता हो। इस कारण से प्रकरण में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर है।

10. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता आर०बी०सिंह० अ०सा० 2 हैं, जो कि कथन करते हैं कि उनके द्वारा अनुसंधान के क्रम में नक्शामौका प्र०पी० 2 बनाया गया था जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसी क्रम में अभियुक्त इंसाफ खां एवं ब्रजेन्द्र जाटव निवासी सिंगवारी को फार्मल गिर० कर गिर० पंचनामा प्र०पी० 3 व 4 बनाए थे जिन पर उनके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन तैयार करने का कथन करते हुए प्र०पी० 5 व 6 बताकर उन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र०पी० 3 लगायत 6 के दस्तावेज दिनांक 09.11.06 को तैयार किए गए हैं, जिनमें साक्षी आरक्षक जसवंतसिंह एवं प्र०आर० हरगोविंद सिंह हैं। आर०बी०सिंह० अ०सा० 2 कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि उक्त दस्तावेजों पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराए। प्र०पी० 3 व 4 के गिर० पत्रक फार्मल गिर० पंचनामे के रूप में हैं, जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता कण्डिका 4 में यह स्पष्ट करने में अस्मर्थ हैं कि वे अभियुक्त थाने के किस प्रकरण में बंद थे और कब से बंद थे।

11. प्रकरण में आर०बी०सिंह अ०सा० 2 के अनुसार उन्हें अभियुक्त ब्रजेन्द्रसिंह एवं इंसाफ खाँ ने दिनांक 30.10.06 को अपने साथी निहालसिंह एवं जितेन्द्रसिंह के साथ अंबे फाइन वायर फ़ैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने की जानकारी दी थी। उक्त जानकारी के आधार पर उन्होंने इंसाफ खाँ से दिनांक 09.11.06 को मंदिर के पास नाला सिंगवारी के पास से एक 12 बोर की इकनाली बंदूक जिस पर नंबर 12255-83 लिखा था, जब्त की थी। उक्त कथन के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति ग्राह्य योग्य नहीं हैं। धारा 27 उक्त प्रावधान के अपवाद के रूप में हैं, जिसके अनुसार मात्र उतनी जानकारी जिससे किसी नवीन तथ्य का पता चला हो, वह साक्ष्य में स्वीकार योग्य है। इस प्रकार से उपरोक्त तथ्य में अभियुक्त इंसाफ खाँ से प्रकरण में फरियादी की बंदूक के जब्त होने का तथ्य स्वीकार योग्य है। अभियुक्त जितेन्द्र के संबंध में यह जानकारी मिलना बताया है कि उसे चोरी गए सामान में मोटर हिस्से में दी गयी थी।

12. प्रकरण में अभियुक्त जितेन्द्र के हिस्से में चोरी के सामान की मोटर आना बताया गया है। अभियोगपत्र में सर्वप्रथम तो ऐसा कोई आधार नहीं है कि कथित चोरी की घटना में कोई मोटर चोरी हुई थी। साथ ही अभियुक्त जितेन्द्र से कथित जानकारी के आधार पर कोई भी सम्पत्ति जब्त नहीं हुई है। हरगोविंद अ०सा० 3 ने कण्डिका 3 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियोगपत्र के अनुसार अभियुक्त जितेन्द्र से कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई है। इस प्रकार से अभियुक्त जितेन्द्र से किसी तथ्य का पता चला हो, ऐसा प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में कथित अभियुक्त इंसाफ खाँ और ब्रजेन्द्र से अभियुक्त जितेन्द्र के संबंध में प्राप्त जानकारी सह अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता की संस्वीकृति के रूप में हैं। जहां तक सह अभियुक्त का कथन का प्रश्न है तो सह अभियुक्त का कथन यदि संस्वीकृति के रूप में हैं, तो वह अन्य सह अभियुक्त के बारे में विचार में लिया जा सकता है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 उपबंधित करती है, जो कि निम्नानुसार उपबंध करती है –

“जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गयी संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।”

13. इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के अनुसार साबित संस्वीकृति के संबंध में न्यायालय उसे सह अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सकता है। आर०बी०सिंह अ०सा० 2 के द्वारा अभिकथित रूप से अभियुक्त इंसाफ खाँ एवं ब्रजेन्द्र के बताने के अनुसार अभियुक्त जितेन्द्र का अपराध में संलिप्त होना



बताया है किन्तु स्वयं अभियुक्त इंसाफ एवं ब्रजेन्द्र के संबंध में विचारण प्रथक किया गया है और उसकी कथित संस्वीकृति अभिलेख पर साबित स्थिति में नहीं हैं। इसके साथ साथ न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत अखलाख विरुद्ध उ०प्र० राज्य (2011) 1 एसीसी क्रिमिनल 981 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 30 के अधीन सह अभियुक्त के विरुद्ध की गयी संस्वीकृति को कमजोर साक्ष्य के रूप में माना है। बिना संपुष्टि के दोषसिद्धि किया जाना सुरक्षित नहीं माना है।

14. प्रकरण में कल्याणसिंह अ०सा० 4 की अभिसाक्ष्य अभियुक्त इंसाफ के संबंध में हैं। साथ ही साक्षी पक्षविरोधी घोषित किया गया है, इस कारण से उसकी साक्ष्य अभियुक्त जितेन्द्र के संबंध में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियुक्त जितेन्द्र के संबंध में उपरोक्त विवेचन के अनुसार ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उसकी अपराध में संलिप्तता दर्शित होती हो।

15. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोथीलैण्डी व

अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

16. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 30.10.06 को 2 बजे अंबे फाईन

वायर फैक्ट्री के अंदर सुर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व फरियादी शिवनाथ मिश्रा के आधिपत्य के 6000 रुपये व एक बारह बोर की इकनाली बंदूक कीमती करीब 2500 रुपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्त जितेन्द्र को संहिता की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

18. प्रकरण में जब्तशुदा 12 बोर की इकनाली बंदूक सुपुर्दगीदार शिवनाथ मिश्रा की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

19. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश